http://www.kdaindia.co.in/pdf/contractor.pdf

कानपुर विकास प्राधिकरण

समग्र एवं सुनियोजित नगर विकास

का0 वि0 प्रा0

ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण सम्बन्धी नियमावली
वर्ष 2011–12

मूल्य– 250/– रूपये

..........................श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र वर्ष 2011–12

कानपुर विकास प्राधिकरण

आवेदन पत्र का कमांकः –

1– फर्म का नाम ....

2– भागीदारो के नाम (1...2...3...
.4...)

3– पूरा पता..
....
मो0 नं0...फोन नं0...

4– स्वामित्व/पार्टनरशिप (प्रति संलग्न करें) (संलग्नक–1)

5– स्टाफ की संख्या नाम व पते (संलग्नक–2)

6– वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में बैंक का प्रमाण पत्र (संलग्नक–3)

7– पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान व पता (संलनग्नक–4)

8– दो नवीनतम् प्रमाणित फोटो संलग्न करनी होगी। (समस्त भागीदारों की)

9– आयकर विभाग से पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रति एवं बैलेंस शीट/पेन नं0 की छायाप्रति (संलनग्नक–5)

10– इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर उसका निकट का रिश्तेदार/ ब्लड रिलेशन (कानपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है) (संलग्नक–6)

11– निर्माण/विकास कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची (संलग्नक–7)

12– पिछले चार वर्षो में किये गये निर्माण/विकास कार्यो के विवरण की सूची (संलग्नक–8)

13– अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्नक–9)

14– डिग्री/डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता की डिग्री/डिप्लोमा की प्रतिलिपि (संलग्नक–10)

15– पार्टनरशिप फर्म के लिये फर्म ऑफ सोसायटी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्नक–11)

16– विधुत कार्य के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये शासन द्वारा निर्गत "क" अनुमोदित लाइसेन्स प्रस्तुत करना होगा।

नवीनतम् सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)			

नमूना हस्ताक्षर ....

नमूना हस्ताक्षर ....

कानपुर विकास प्राधिकरण में ठेकेदारो के पंजीकरण हेतु नियम व शर्ते

1– भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यो हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु योग्य होंगे।

विशिष्ट श्रेणी	**रू0 200 लाख से 500 लाख तक**
'ए'' श्रेणी	**रू0 100 लाख से 200 लाख तक**
'बी'' श्रेणी	**रू0 50 लाख से 100 लाख तक**
'सी'' श्रेणी	**रू0 25 लाख से 50 लाख तक**
डी'' श्रेणी	**रू0 10 लाख से 25 लाख तक**
डी–1 श्रेणी	**रू0 10 लाख से 25 लाख तक (आरक्षित श्रेणी)**
ई'' श्रेणी	**रू0 10 लाख तक**
ई–1 श्रेणी	**रू0 10 लाख तक (आरक्षित श्रेणी)**

2– फर्मो का पंजीकरण/नवीनीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खोला जायेगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जायेगी।

3– निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। 5.00 करोड़ से अधिक कार्य हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत विशिष्ट श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार भी निविदा डालने के लिये अधिकृत होंगे लेकिन शर्त यह होगी कि उनकी निविदा स्वीकृत होने पर उन्हे विभाग में नियमानुसार पंजीकरण फीस कराना होगा। ऐसी निविदाये **टू विड सिस्टम** के अर्न्तगत आमंत्रित की जायेगी ।

4– निर्माण कार्यो पर संलग्न परिशिष्ट संख्या–1 के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा ।

5– ठेकेदारों को अनुमानित राशि की 2 प्रतिशत एफ.डी.आर/एन.एस.सी. जो, कानपुर विकास प्राधिकरण ,कानपुर के नाम बन्धक हो, के रूप में धरोहर राशि निविदा क्रय करने से पूर्व जमा करानी होगी ।

6– चलित देयकों से जमानत राशि प्रथम लाख का 10% अगले लाख पर 7.50% व शेष पर 5% की दर से काटा जायेगा। यह जमानत राशि एफ.डी.आर/एन.एस.सी. के रूप में जो कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर के नाम बन्धक हो, में परिवर्तित की जा सकती है ।

7– वित्तीय वर्ष 2010–11 में पंजीकृत ठेकेदारों को नवीनीकरण के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यो एवं वर्क इन हैण्ड का विवरण परिशिष्ट सं0 5 व परिशिष्ट सं0–6 के अनुसार सम्बन्धित अभियंत्रण खण्डों से सत्यापित कराकर देना होगा। यदि वित्तीय वर्ष 2010–11 में पंजीकृत ठेकेदार द्वारा उक्त वर्ष में कोई कार्य नही लिया गया तो उसे उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तभी उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।

8– यदि ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य उत्तम श्रेणी का है, तो पूर्व में किये गये कार्यो के मूल्य का 1.50 गुना संबंधित ठेकेदार की क्षमता मानी जा सकती है , क्षमता पूरी हो जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार को निविदा विक्रय की जायेगी। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता का निर्णय अन्तिम होगा ।

9– पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, फिनिशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को (ब्लैक लिस्ट) काली सूची में दर्ज करने का अधिकार सचिव/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता को होगा ।

10– इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर उसका निकट का रिश्तेदार (ब्लड रिलेशन) कानपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है । ब्लड रिलेशन का अर्थ है कि (पिता ,मॉ, भाई –बहिन, चाचा, ताऊ, बेटी, बेटा व पत्नी इत्यादि)। यदि इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त कर उसकी फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

11– किसी ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण, जिसने प्राधिकरण में सर्विस की हो, प्राधिकरण में सर्विस समाप्त होने के दो वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही किया जायेगा ।

12– निविदा मूल्य निम्न प्रकार देय होगाः–

रू0 2.00 लाख तक	**250/–**
रू0 2.00 लाख से 5.00लाख तक	**500/–**
रू0 5.00 लाख से 10.00लाख तक	**750/–**
रू0 10.00 लाख से 25.00लाख तक	**1250/–**
रू0 25.00 लाख से 100.00 लाख तक	**2500/–**
रू0 100.00 लाख से 200.00 लाख तक	**5000/–**
रू0 200.00 लाख से 500.00 लाख तक	**6000/–**
रू0 500.00 लाख से अधिक	**7500/–**

13– लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र परिशिष्ट–3 के अनुसार परिशिष्ट–4 पर निर्धारित प्रारूप का राष्ट्रीकृत बैंक से देना होगा । जो छः माह से पूर्व का निर्गत नही होना चाहिए।

14– सभी ठेकेदारों को जिला मजिस्ट्रेट से वर्तमान चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास स्थान का पता सत्यापन कराकर देना होगा ।

15– प्रमाण पत्र के साथ लगायी जाने वाली फोटो राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित होनी चाहिये।

16– सभी पंजीकृत ठेकेदारों को परिचय पत्र निर्गत किये जायेंगे जो किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा मॉगने पर दिखाना होगा ।

17– विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय, अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार एवं उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये जायेगें। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना होगा ।

18– निर्माण कार्यो पर संलग्न परिशिष्ट संख्या–2 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा। यदि मशीनरी स्थल पर नही पायी जाती है तो संलग्न सूची के अनुसार मशीनरी का बाजार दर से किराया उसके बिल से काटा जायेगा ।

19– पंजीकरण शुल्क संलग्न परिशिष्ट संख्या–3 के अनुसार देय होगा, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक मान्य होगा।

20– वॉछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ जमा न करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/सचिव के पास सुरक्षित होगा ।

21– पंजीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित है।

22– पंजीकृत ठेकेदारों को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में समय समय पर जारी किये गये आदेश मानने होगे ।

23– क्षमता निर्धारण हेतु 'वर्क इन हैन्ड' एवं गत चार वर्षो में किये गये कार्यो के विवरण संलग्न प्रारूप में देना होगा जिसके साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

24– जमानत राशि निर्माण/विकास कार्य के सन्तोषजनक पूरा होने अथवा अन्तिम भुगतान के छः माह बाद जो भी बाद में हो अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप वापिस की जायेगी ।

25– ठेकेदारों द्वारा आयकर विभाग में पिछले वित्तीय वर्ष 2009–10 के आयकर रिटर्न की प्रति तथा बैलेन्स शीट देना होगा ।

<u>पंजीकरण वर्ष 2011–12 हेतु</u>

26– (1) **विशिष्ट श्रेणी** में पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए विगत 6 वित्तीय वर्षो अर्थात 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2011 के मध्य कम से कम चार वित्तीय वर्षो में भवन निर्माण / विकास कार्य कराने का अनुभव तथा न्यूनतम 500 लाख के कार्यो का राजकीय विभागों / राजकीय संस्थाओं / पब्लिक / प्रा0लि0कं0 का प्रमाण पत्र देना होगा।

(2) **''ए'' श्रेणी** में पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए विगत 6 वित्तीय वर्षो अर्थात 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2011 के मध्य कम से कम चार वित्तीय वर्षो में भवन निर्माण / विकास कार्य कराने का अनुभव तथा न्यूनतम 200 लाख के कार्यो का राजकीय विभागों / राजकीय संस्थाओं / पब्लिक / प्रा0लि0कं0 का प्रमाण पत्र देना होगा।

(3)**''बी'' श्रेणी** में पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए विगत 6 वित्तीय वर्षो अर्थात 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2011 के मध्य कम से कम चार वित्तीय वर्षो में भवन निर्माण / विकास कार्य कराने का अनुभव तथा न्यूनतम 100 लाख के कार्यो का राजकीय विभागों / राजकीय संस्थाओं / पब्लिक / प्रा0लि0कं0 का प्रमाण पत्र देना होगा।

(4)**''सी'' श्रेणी** में पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए विगत 6 वित्तीय वर्षो अर्थात 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2011 के मध्य कम से कम 3 वित्तीय वर्षो में भवन निर्माण / विकास कार्य कराने का अनुभव तथा न्यूनतम 50 लाख के कार्यो का राजकीय विभागों / राजकीय संस्थाओं / पब्लिक / प्रा0लि0कं0 का प्रमाण पत्र देना होगा।

(5) **''डी'' श्रेणी** में पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए विगत 6 वित्तीय वर्षो अर्थात 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2011 के मध्य कम से कम 2 वित्तीय वर्षो में भवन निर्माण / विकास कार्य कराने का अनुभव तथा न्यूनतम 25 लाख के कार्यो का राजकीय विभागों / राजकीय संस्थाओं / पब्लिक / प्रा0लि0कं0 का प्रमाण पत्र देना होगा।

(6) सभी आवश्यक प्रपत्र आवेदन फार्म के साथ ही संलग्न किये जायेगे। किसी भी दशा में अधूरें आवेदन पत्र स्वीकार्य नही किये जायेगें। **(पंजीकरण हेतु सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ दिनांक 31 मई 11 तक ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगे)।**

(7) नवीनीकरण के लिए विगत वर्ष 2010–11 में पंजीकृत फर्म / ठेकेदार ही आवेदन कर सकेगे। विगत वर्ष 2010–11 में पंजीकृत फर्म / ठेकेदार द्वारा नवीनीकरण शुल्क के साथ लिक्विड एसेट्स प्रमाण पत्र/ अनुभव प्रमाण / 'वर्क इन हैण्ड' प्रमाण/ चरित्र प्रमाण पत्र आदि अधिकतम 31 मई 2011 तक प्रस्तुत करना होगा।

नोटः–

1. उपरोक्त वर्णित राजकीय विभाग/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्रा0लि0 कं0 के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किये गये कार्यो का संतोषजनक रूप से पूर्ण होना चाहिए। जिसकी पुष्टि कराने के उपरान्त अभिलेख अनुसार नवीनीकरण/ पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी, जो सभी कैटेगरी के फर्मो पर मान्य होगा।
2. नवीनीकरण के लिये गत वर्ष किये गये / किये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधि0अभियन्ता का सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. सभी प्रपत्र पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
4. कार्य का विवरण प्रत्येक फर्म द्वारा परिशिष्ट–7 के अनुसार अलग से दर्ज किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा पंजीकरण पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा।

27– ठेकेदारों का पंजीकरण एक बार में केवल एक वर्ष के लिये किया जायेगा, जो चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वैध होगा। इसी प्रकार विगत वर्ष 2010–11 में पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण एक वर्ष के लिये किया जायेगा, जो चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वैध होगा।

28– किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा ।

29– कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विवाद की मध्यस्थता स्वयं करें या प्राधिकरण के मुख्य/अधीक्षण अभियन्ता अथवा किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें। इस प्रकिया में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष का मान्य होगा ।

30– यदि कोई फर्म किन्हीं कारणों से प्राधिकरण द्वारा ब्लैक लिस्ट की जाती है, तो उस फर्म का मालिक या पार्टनर किसी अन्य फर्म का पार्टनर या मालिक है, तो वह फर्म भी स्वतः ही (ब्लैक लिस्ट) काली सूची में दर्ज हो जायेगी ।

31– प्राधिकरण में कोई भी पंजीकृत ठेकेदार निम्नानुसार सीमा से अधिक मूल्य का कार्य एक समय में करने के लिए अहर्य नही होगा ।

<u>भवन निर्माण एवं विकास कार्य हेतु</u> :

1. विशिष्ट श्रेणी	**सीमा नही**
2.''ए'' श्रेणी	**रू0 600 लाख तक**
3..''बी'' श्रेणी	**रू0 300 लाख तक**
4..''सी'' श्रेणी	**रू0 150 लाख तक**
5..''डी'' श्रेणी	**रू0 50 लाख तक**
6–'' ई'' श्रेणी	**रू0 20 लाख तक**

32– बी.ई0/बी. टेक (सिविल) एवं समकक्ष डिग्री धारकों का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के ''सी'' श्रेणी में किया जा सकता है।

33– विद्युतीकरण के कार्यो हेतु **विद्युत निदेशक उ0प्र0 शासन से ''क'' श्रेणी अनुमोदित लाइसेंन्स संलग्न करना होगा।** जो पंजीकरण अवधि के लिये वैध होना चाहिये।

34– एक व्यक्ति एक ही फर्म में प्रोप्राइटर अथवा साझीदार हो सकता है ।

35– 5.00 करोड़ से अधिक कार्य की निविदा **टू विड सिस्टम** के अर्न्तगत आमंत्रित की जायेगी।

36– केवल **हाट मिक्स प्लान्ट** के कार्यो के लियं पंजीकृत फर्मो के साथ–साथ समस्त प्लान्ट धारक जिनके पास स्वयं का MOST की विशिष्टियों के अनुसार कम्प्यूटर कंट्रोल्ड हाटमिक्स प्लान्ट सेन्सर पेवेर , वाइब्रेटरी रोलर, रोड रोलर, बिटुमिन स्प्रेयर, कम्प्रेसर आदि हो तथा जो कानपुर में उपरोक्त प्लान्ट स्थापित कर कार्य करना चाहें, ऐसी फर्म प्राधिकरण की निविदा में भाग ले सकेगे। किन्तु उन्हे प्रथम बार निविदा स्वीकृति के उपरान्त पंजीकरण की समस्त औपचारिकतायें तथा विशिष्ट श्रेणी की पंजीकरण फीस जमा करनी होगी। हाटमिक्स प्लान्ट वर्ग में मात्र विशिष्ट श्रेणी में पंजीकरण होगा जो प्राधिकरण के हाटमिक्स के एक करोड़ से अधिक धनांक के कार्यो के लिये मान्य होगा।

37– शिरोपरि जलाशय हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्म के साथ अन्य टेकेदार भी निविदा डालने हेतु पात्र होगे, जिन्हे शिरोपरि जलाशय हेतु कार्यानुभव के रूप में 1000 किली0 से बड़े गत चार वर्षो में दो जलाशयों के पूर्णता प्रमाण पत्र का अनुभव हो तथा पंजीकरण फीस के रूप में रू0 25,000/ + 250/ प्रथम बार देय होगी, साथ ही पंजीकरण फार्म भरकर समस्त पंजीकरण

औपचारिकतायें भी पूर्ण करनी होगी। ''ए'' श्रेणी का लिक्विड एसेट्स / सालवेन्सी प्रमाण होने पर ही पंजीकरण की अर्हता मानी जायेगी। शिरोपरि जलाशय वर्ग में मात्र एक ही श्रेणी में पंजीकरण होगा जो किसी भी कार्य धनांक के लिये मान्य होगा।

38– कानपुर विकास प्राधिकरण में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत फर्में जो निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त "क" श्रेणी/ "क" श्रेणी अनुमोदित विद्युत लाइसेन्स धारक है,वे ही विद्युतीकरण कार्यो की निविदाओं में अपनी पंजीकृत श्रेणी में भाग लेने हेतु पात्र होंगी। निविदा के साथ विद्युत लाइसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा में भाग लेने वाली फर्मो हेतु प्रकाश व्यवस्था व फौव्वारों आदि के संचालन एवं अनुरक्षण कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अरिवार्य होगा। नलकूप स्थापना एवं संचालन का दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सहित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा निविदा के साथ नलकूप संचालन हेतु आई0टी0 आई योग्यता प्राप्त पम्प आपरेटर का प्रमाण –पत्र निविदा स्वीकृति उपरान्त उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

39 – शासनादेश सं0 425/23/7–2010–25(सा0)09 दिनांक29.01.10 के द्वारा शासकीय निर्माण कार्यो हेतु अनुसूचित जाति एवं /जनजाति के ठेकेदारों को पूर्वशासनादेश सं0 2057/23/7–2010–25(सा0)09 दिनांक 30.06.09 में निर्धारित की गई धनराशि रू0 पॉच लाख को बढाकर एतद् द्वारा रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) कर दी गई है । उक्त शासनादेश में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों तथा बेरोजगार इंजीनियर टेकेदारों को पंजीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यक हैसियत की धनराशि तथा सामान्य जमानती धनराशि की निर्धारित सीमा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ।

40– कानपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के पूर्व संबंधित फर्म को नियमानुसार श्रम विभाग,उ0प्र0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा कार्यस्थल पर लगाये गये श्रमिको का समय –समय पर भी पंजीकरण नियमानुसार कराना होगा । **श्रम विभाग में फर्म के पंजीकरण के उपरान्त ही प्राधिकरण में पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।**

41. **पंजीकरण का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना**

1. पंजीकरण के लिए आदेश प्राप्त हो जाने के पश्चात व पंजीकरण शुल्क जमा कर देने के उपरान्त ठेकेदार /पंजीकृत फर्म को परिशिष्ट – 8 के अनुसार उसके पंजीकृत किये जाने का एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
2. पंजीकरण मात्र उसी वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए वैध होगा।
3. यदि किसी ठेकेदार / फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र किसी कारण से खराब हो जाये अथवा खो जाये तो उसे उक्त घटना का स्वीकार्य कारण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

1. विशिष्ट श्रेणी	**रू0 150.00**
2.''ए'' श्रेणी	**रू0 100.00**
3..''बी'' श्रेणी	**रू0 80.00**
4..''सी'' श्रेणी	**रू0 60.00**
5..''डी'' श्रेणी	**रू0 40.00**
6. ''डी–1'' श्रेणी	**रू0 20.00**
7. '' ई'' श्रेणी	**रू0 20.00**
8. ''ई–1'' श्रेणी	**रू0 10.00**

परिशिष्ट संख्या–1

प्रत्येक श्रेणी के निर्माण कार्यो पर निम्नानुसार स्टाफ रखना होगा। (10/ रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

श्रेणी	**[विशिष्ट एवं ''ए'']**	**श्रेणी [''बी'']**	**श्रेणी [''सी'']**	**श्रेणी [''डी'']**
	दो ग्रेजुएट सिविल/विधुत इंजीनियर	एक ग्रेजुएट सिविल / विधुत इंजीनियर	एक ग्रेजुएट सिविल/ विधुत इंजीनियर	एक डिप्लोमा सिविल/ विधुत इंजीनियर
	दो डिप्लोमा सिविल/ विधुत इंजीनियर	दो डिप्लोमा सिविल/ विधुत इंजीनियर	एक डिप्लोमा सिविल/ विधुत इंजीनियर	

परिशिष्ट संख्या–2

निर्माण कार्यो पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूचीः– (10/ रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित

कमांक	मशीनरी का नाम	विशिष्ट एवं "ए"	बी	सी	डी	ई
1.	कंकरीट मिक्सर	2	2	1	1	–
2.	वाइब्रेटर्स	3	2	2	1	–
3.	पम्पस्	2	1	1	1	–
4.	पोकलेन	1	–	–	–	–
5.	डीजल जनरेटिंग सैट 25 कि0 वाट	1	–	–	–	–
6.	ट्रैक्टर्स	1	–	–	–	–
7.	रोड रोलर	2	–	–	–	–
8.	थ्योडोलाइट	1	–	–	–	–
9.	लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित	2	1	–	–	–
10.	बिटुमिन बायलर	1	–	–	–	–

परिशिष्ट संख्या–3

<u>सिविल कार्यो हेतु पंजीकरण शुल्क एवं हैसियत प्रमाण/तरल पूॅजी प्रमाण पत्र का विवरण</u>

श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की क्षमता [रूपये में]	पंजीकरण शुल्क [रूपये में] (जमा फीस वापसी नही)	नवीनीकरण शुल्क (रूपयों में प्रतिवर्ष) (जमाफीस वापसी नही)	लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र (रू0 लाख में)	सालवेन्सी प्रमाण पत्र (रू0 लाख में)	अभ्युक्ति
विशिष्ट	200 लाख से 500 लाख तक	50,000.00	7500.00	125.00	500	लिक्विड एसेट्स प्रमाण पत्र (जो 6 माह से पूर्व का नही होना चाहिए) अथवा साल्वेन्सी प्रमाण पत्र में से कोई एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ।
"ए"	100 लाख से 200 लाख तक	25,000.00	3750.00	50.00	200	
"बी"	50 लाख से 100 लाख तक	20,000.00	3000.00	25.00	100	
"सी"	25 लाख से 50 लाख तक	15,000.00	2250.00	12.50	50	
"डी" "डी–1"	10 लाख से 25 लाख तक 10 लाख से 25 लाख तक	10000.00 5000.00	1500.00 750.00	6.25 3.125	25 12.5	
"ई" "ई–1'	10.00 लाख तक 10.00 लाख तक	5000.00 2500.00	750.00 375.00	2.50 1.25	10 5	

11

परिशिष्ट संख्या–4

प्रमाणित किया जाता है कि मै0..

प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम..

निवासी..

....

गत......................वर्षो से हमारे खातेदार है एवं जिनका व्यवहार संतोषजनक है। उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार उनका लिक्विड एसेट्स रू0................................लाख से अधिक है।

दिनांकः

बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर

सील सहित

परिशिष्ट संख्या–5

अनुभव प्रमाण पत्र

1 कार्य का नाम

2 कार्यदांयी संस्था का नाम

3 कार्य की लागत (रू0 में)

4 कार्य प्रारम्भ की तिथि

5 कार्य समाप्ति की तिथि

6 कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि

7 कार्य की समापन लागत (रू0 में)

8 डिवीजनल/ जोनल आफीसर की अभ्युक्ति

परिशिष्ट संख्या–6

'वर्कइन हैण्ड' प्रमाण पत्र

1 कार्य का नाम

2 कार्य दांयी संस्था का नाम

3 अनुबन्ध/ कार्यादेश के अनुसार कार्य की लागत (रू0 में)

4 अनुबन्ध/ कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि

5 अनुबन्ध/ कार्यादेश के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि

6 01.04.11 को कार्य की भौतिक प्रगति

7 01.04.11 को कार्य की वित्तीय प्रगति (रू0 में)

8 ठेकेदार के पंजीकरण / नवीनीकरण के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता की अभ्युक्ति

परिशिष्ट संख्या–7

पिछले छः वर्षो में किये गये / किये जा रहे कार्यो का संक्षिप्त विवरण

कमांक	कार्य का नाम	कार्य दांयी संस्था का नाम	अनुबन्ध/ कार्यादेश के अनुसार			कार्य के वास्तविक		अभ्युक्ति
			कार्य की लागत (रू0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	समापन की तिथि	समापन की लागत (रू0 लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

परिशिष्ट – 8

पंजीकरण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स / श्री .... पता .... है। कानपुर विकास प्राधिकरण में .... वर्ष 2011–12 के लिए .... श्रेणी में पंजीकृत है।

अधीक्षण अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
कानपुर विकास प्राधिकरण
कानपुर

प्रारूप संख्या : एफ–17

आवास एंव शहरी नियोजन विभाग

रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति

(वर्ष 2010–11 हेत)

रोजगार योजनाएं (इकाई संख्या में) रिर्पोटिंग माह : अप्रैल 2011 तक

क्रम सं0	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष)	कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	अल्प संख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कानपुर विकास प्राधिकरण	रोजगार छतरी योजना										

शासनादेश के पत्र सं0 1640 (2)/आठ –1–09–13 बैठक/05 दि0 31 अगस्त 2009, आवास एंव शहरी नियोजन विभाग, के अनुसार ही कार्मिक की सूचना प्रेषित